HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 875/2024

Khushiram Jat S/o Shri Baijnath Jat,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री मनीष शर्मा
For Respondent(s)	:	श्री ऋषिराज सिंह राठौड, लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार शर्मा

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

11-02-2025

सुना गया ।

योग्य अधिवक्ता अयाची जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहते हैं ।

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि याची सद्भाविक क्रेता है, उसे प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया जा रहा है । उनका यह भी कथन है कि याची/अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने व संबंधित अनुसंधान अधिकारी के साथ अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तैयार व तत्पर हैं।

योग्य अधिवक्ता याची द्वारा प्रस्तुत तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याची को दिनांक 10.03.2025 को या इससे पूर्व **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2023 पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर** के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह याची से गहनता से आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट

RAJASTHAN HIGH COURT

मय केस डायरी योग्य लोक अभियोजक के माध्यम से आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे ।,

पत्रावली छः सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे तब तक याची/अभियुक्त **खुशीराम जाट पुत्र श्री बृजनाथ जाट** को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/62